द पत्र. संख्या ::– 146 / 2015

1– मांगीलाल पिता भूरा जाति चमार निवासी सारण तह0 बेगूँ
2– जनकीलाल पिता भूरा जाति चमार निवासी सारण तह0 बेगूँ
3– भैरू पिता भूरा जाति चमार निवासी सारण तह0 बेगूँ
4– केशुराम पिता भूरा जाति चमार निवासी सारण तह0 बेगूँ
5– श्रीमति राजी पुत्री भूरा जाति चमार निवासी सारण तह0 बेगूँ हा0मु0
हा.मु. पत्नी रामलाल निवासी सुठेपा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा
6–श्रीमति पूनी पुत्री भूरा जाति चमार निवासी सारण तह0 बेगूँ
पत्नी जमनालाल चमार निवासी डोराई तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1– रतनदास पिता हरिरामदास बैरागी निवासी सारण तह0 बेगू
2– भगवानदास पिता हरिरामदास बैरागी निवासी सारण तह0 बेगूँ
3– श्रीमति नानीबाई पत्नी हरिरामदास बैरागी निवासी सारण तह0 बेगूँ
4– छगनदास पिता लक्ष्मणदास बैरागी निवासी सारण तह0 बेगूँ
5– कालुदास पिता श्री लक्ष्मणदास बैरागी निवासी सारण तह. बेगूँ
6– श्यामदास पिता लक्ष्मणदास बैरागी निवासी सारण तह. बेगूँ
7– रूपदास पिता लक्ष्मणदास बैरागी निवासी सारण तह. बेगूँ
8– रामचन्द्रदास पिता गोपीदास बैरागी निवासी सारण तह. बेगूँ
9– श्री राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़
10– श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 27–10–2023

उपस्थित ::– श्री भोलेश भट्ट
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वादपत्र अधिवक्ता श्री भोलेश भट्ट द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि ग्राम सारण पटवार हल्का मोतीपुरा तहसील बेगूँ में नवीन निम्न कृषि आराजीयात वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे की स्थित है:–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
311	1.1800
314	0.2400
317	2.8200
318	0.7000
किता–4	4.9400 हैक्टर

यह कि उक्त कृषि आराजीयात वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे की गत भू–प्रबन्धक के पूर्व की निम्न कृषि आराजीयात से बनी है:–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
220	14 बीघा 13 बिस्वा
221	10 बीघा 03 बिस्वा
किता–2	24 बीघा 16

यह कि गत भू–प्रबन्ध में उक्त कलम संख्या में वर्णित वादीगण की कृषि भूमि मे से निम्न प्रकार से नवीन आराजयीात में प्रतिवादीगण के नाम भूमि को दर्ज कर वादीगण की भूमि को कम कर दी ।
अ– वादीणगा की पुरानी असाराजी नं0 220 मे से नवीन आराजी नम्बर 32[illegible] मे [illegible]00 हैक्टर तथा आराजी नं0 324 मे 1200 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दी ।
ब– वादीगण की पुरानी आराजी संख्या 221 मे से नवीन आराजी नम्बर 312 मे 0.2700 हैक्टर, आराजी नम्बर 319 मे 0.0600 हैक्टर आराजी नम्बर 320 मे 0.0600 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:23 IST
Reason: SelfAttested

... इस वाद के नक्शा ट्रेस को ऊपर नीचे रखने पर स्पष्ट हो जाती
वादीगण को आराजी नम्बर 312 व 319 प्रतवादीगण सं0 1 से 8 के संयुक्त खाते मे से निम्न
...ार से कृषि भूमि कम की जाकर वादीण्गा के खाते में दर्ज किये जाने की एवं आराजी नम्बर
...4/320 व 546/324 प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के खाते मे दर्ज किये जाने की घोषणा
...ु यह वाद प्रस्तुत है:—

...ाजी नम्बर	रकबा हैक्टर
...2	0.2700 (पुरानी आराजी नम्बर 221 की)
...9	0.0600 (पुरानी आराजी नम्बर 221 की)
...4/320	0.200 (पुरानी आराजी नम्बर 220 की)
.../324	0.1200 (पुरानी आराजी नम्बर 220 की)
	0.6700 हैक्टर

यह कि आराजी संख्या 545/324 का क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टर प्रतिवादीगण की वादीगण
...खाते मे आराजी नम्बर 317 मे दर्ज कर दी गई जिसे वादीगण के खाते से कम की जाकर
...ादीगण के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा हेतु यह वाद प्रस्तुत है। यह कि प्रतिवादीगण आए
... नये रेकार्ड की गलत प्रविष्ठियो के आधार पर झगडा करते है एवं पुलिस के माध्यम से
...ीयां देते है। वादीगण के विरूद्ध उक्त गलत प्रविष्ठियों के कारण प्रतिवादीण ने एक प्रार्थना पत्र
... 128 रा0ले0रे0 एक्ट भी प्रस्तुत कर रखा है जो अभी भी लम्बित है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को कानून उक्त कलम संख्या 6 वर्णित भूमि पर न तो
... अधिकार है एवं न ही मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। इसी प्रकार आराज िनम्बर 317 के
... हैक्टर रकबा जो कि उक्त कलम सात (7) में वर्णित है पर वादीगण का कब्जा नहीं होकर
...दी संख्या 1 का कब्जा है। इसलिये उक्त कलम 6 वर्णित भूमि को प्रतिवादीगण के खाते से
...ी जाकर वादीगण के नाम दर्ज किया जाना एवं उक्त कलम 7 वर्णितानुसार भूमि को वादीगण
...ाराजी नम्बर 317 से कम की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित
...दीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वास्तवित विवाद भी यही है।

वादीगण ने दिनांक 25.08.2015 को प्रतिवादीगण को समझाया कि तहसील कार्यालय में
...र आपस में सहमति से रेकार्ड को सही करवाते लेकिन प्रतिवादीगण ने मना कर दिया इसलिये
...ण को यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। इस प्रकार वाद कारण दिनांक 25.08.2015
...कार्ड दुरूस्ती हेतु कहने पर मना करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वाद वर्णित
...ायात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान
...प्त है। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 घोषणा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से वादपत्र में
... बनाये गये है।

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की डिक्री हेतु प्रार्थना करते है:—
...के वादपत्र की कलम संख्या 6 वर्णितानुसार आराजी नम्बर 312 रकबा 0.4600 हैक्टर मे से 0.
...क्टर, आराजी नम्बर 319 रकबा 0.6000 हैक्टर मे से 0.0600 हैक्टर , प्रतिवादी संख्या 1 से
...ाते से कम की जाकर एवं आराजी नम्बर 544/320 रकबा 0.8100 हैक्टर मे से 0.2200
...था आराजी नम्बर 545/324 रकबा 0.1600 हैक्टर मे से 0.1200 हैक्टर प्रतिवादी सं0 1 के
... कम की जाकर वादीगण के खाते मे दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादीगण के
... दर्ज किये जाने की घोषणा वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रदान की

... वादपत्र की कलम संख्या 7 वर्णितानुसार आराजी नम्बर 317 ... से 0.
...क्टर भूमि वादीगण के खाते मे (नक्शाट्रेस के अनुसार) गलत दर्ज ... जिसे प्रतवादी
... के नाम आराजी नम्बर 545/324 मे दर्ज किये जाने की डिक्री प्रदान की ...
...अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण को सुलभ हो प्रदान किया जावें।
... वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाये जाने का आदेश
...जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:23 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर
...ण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 बावजूद
... उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये
...त्रावली में प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर एवं अंतिम
...ये जाने के बाद भी उनके द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जाने पर राज.सरकार का

तथा वादीगण की ...
... एवं गवाह हरिकिशन तथा मोहनलाल के साक्ष्य हेतु ... किये तथा वादी द्वारा
... एवं गवाह ने अपने बयान पर हस्ताक्षर किये तथा वादी द्वारा
... किए गये पत्रावली में वादी एवं गवाह ने अपनी साक्ष्य पूर्ण की गई। प्रतिवादीगण के
... में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपनी साक्ष्य पूर्ण की गई। प्रतिवादीगण के
... में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए पत्रावली में वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने
...स्थित नहीं आने से जिरह निल रखी गई। इस प्रकार पत्रावली में वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने
...स्थित नहीं आने से जिरह निल रखी गई। इस प्रकार को ध्यानपूर्वक सुना गया । अधिवक्ता
वादपत्र पर अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया । अधिवक्ता
वादपत्र पर अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर
...गण द्वारा अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर
...गण द्वारा अपनी बहस को वादपत्र के खाते दर्ज हुई है उसे पुनः वादीगण के खाते
प्रबन्ध से पूर्व की आराजी जो कि प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हुई है उसे पुनः वादीगण के खाते
प्रबन्ध से पूर्व की आराजी जो कि प्रतिवादीगण उनके द्वारा किया गया।
दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी करने का निवेदन उनके द्वारा किया गया।
दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी करने का निवेदन उनके को सुना जाने के उपरान्त

पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को सुना जाने के उपरान्त
...रे द्वारा वादीगण के सभी प्रदर्श दस्तावेज का अवलोकन किया गया प्रदर्श– 1 नकल जमाबंदी
...जा सारण प0ह0 मोतीपुरा कीसं0 2069 से 72 की प्रस्तुत की है जिसमें आराजी संख्या 311, 314,
...7, 318 किता–4 रकबा 4.940 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री मांगू जानकीलाल भेरू पिता भूरा जी
...ली दुख्तर भूरा 1/2 केशुराम पिता धन्ना 1/2 चमार सा0देह रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा
...रसोली हिस्सा केशुराम पर लिया रहन 1/10 श्री मांगू पर ना.सं. 424, 435, 441, 506, 539, 543
...ंकन किया हुआ है अर्थाता यह भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज अंकित है। प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी
...ौजा सारण की सं0 2018 में गत आराजी संख्या 220, 221 किता–2 कुल रकबा 24 बीघा 16
बिस्वा भूमि के खातेदार श्री भुरा गुनेश पिता सोला चमार के नाम पर दर्ज है। प्रदर्श–3 नकल
जमाबंदी मेवाड सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट की सम्वत 2003 की प्रस्तुत की है जिसमें भुरा गणेश पिता
सोला चमार के नाम पर गत आराजी संख्या 220, 221 किता–2 रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज
रेकार्ड है। प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी मौजा सारण सं0 2069 से 72 की प्रस्तुत की है जिसमें दर्ज
आराजी संख्या 544/323 व 545/324 किता–2 कुल रकबा 3.4833 हैक्टर भूमि श्री रतन पिता
हीरादास बैरागी सा.देह खातेदार के नाम पर दर्ज है। प्रदर्श–5 नकल जमाबंदी मौजा सारण प0ह0
मोतीपुरा की सम्वत 2069 से 72 की प्रस्तुत की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 184, 185, 186, 289,
292, 293, 334, 335, 336, 337, 338, 312, 319, 321 किता–14 कुल रकबा 5.9399 हैक्टर भूमि श्री
छगनदास बालूदास श्यामदास रूपदास बदामी रामकन्या पिता लक्ष्मणदास मु. धाइ बेवा लक्ष्मणदास
1/5 रतनदास भगवानदास पिता हरिराम दास 1/5 रतनदास भगवानदास पिता हरिरामदास
नानीबाई बेवा हरिरामदास 1/5 छगनदास कालूदास श्यामदास रूपदास पिता लक्ष्मणदास 55/523
रामचन्द्र पिता गोपीदास 143/593 बैरागी सा.देह के नाम पर दर्ज है यानि वर्तमान यह भूमि
प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज अंकित है। प्रदश–6 नक्शा ग्राम सारण का प्रस्तुत किया है।
वादीगण द्वारा भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग का खसरा मिलान की नकले प्रस्तुत की जो प्रदर्श–7 से
लगायत प्रदश–9 तक है तथा प्रदर्श–10 नक्शा किश्तवार ठिकाना उदयपुर मेवाड सम्वत 2000 सन
1944 की प्रस्तुत की है।

वादीगण द्वारा पत्रावली में इन सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, गत
आराजी संख्या 221 मी के नवीन आराजी संख्या 311 बने है जो कि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज
नहीं है ,इसी प्रकार गत आराजी संख्या 221 मी से ही बने नवीन आराजी संख्या 314 भी
प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज नहीं है, गत आराजी संख्या 220 से बने हुए नवीन आराजी संख्या 317
व आराजी संख्या 318 भी प्रतिवादीगण के नाम पर वर्तमान मे दर्ज नहीं है, यह तथ्य मिलान
भू–प्रबन्ध सेटलमेनट की नकल से स्पष्ट होता है, साथ ही गत नक्शाट्रेस व वर्तमान नक्शो के
मिलान किया जाने पर भी यह सिद्ध नहीं होता है कि गत भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज कर
दी गई है। वादीगण जिन दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह वाद पत्र लेकर आए उन दस्तावेज से
वादीगणका यह वादपत्र सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से वादीगण का
वादपत्र सिद्ध नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान ... अधिनियम का दस्तावेजी
साक्ष्य के आधार पर सिद्ध नहीं होने से वादीगण ... खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 27–10–2023 को लिखाया जाकर ...लास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:23 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

वाद संख्या :– 146 / 2015

1– मांगीलाल पिता भूरा जाति चमार निवासी सारण तह0 बेगू

2– जनकीलाल पिता भूरा जाति चमार निवासी सारण तह0 बेगॅू

3– भैरू पिता भूरा जाति चमार निवासी सारण तह0 बेगॅू

4– केशुराम पिता भूरा जाति चमार निवासी सारण तह0 बेगॅू

5– श्रीमति राजी पुत्री भूरा जाति चमार निवासी सारण तह0 बेगॅू हा.मु. पत्नी रामलाल निवासी सुठेपा तह0 कोटडी जिला भीलवाडा

6–श्रीमति पूनी पुत्री भूरा जाति चमार निवासी सारण तह0 बेगॅू हा0मु0 पत्नी जमनालाल चमार निवासी डोराई तह0 बेगॅू

वादीगण

बनाम

1– रतनदास पिता हरिरामदास बैरागी निवासी सारण तह0 बेगू

2– भगवानदास पिता हरिरामदास बैरागी निवासी सारण तह0 बेगॅू

3– श्रीमति नानीबाई पत्नी हरिरामदास बैरागी निवासी सारण तह0 बेगॅू

4– छगनदास पिता लक्ष्मणदास बैरागी निवासी सारण तह0 बेगॅू

5– कालुदास पिता श्री लक्ष्मणदास बैरागी निवासी सारण तह. बेगॅू

6– श्यामदास पिता लक्ष्मणदास बैरागी निवासी सारण तह. बेगॅू

7– रूपदास पिता लक्ष्मणदास बैरागी निवासी सारण तह. बेगॅू

8– रामचन्द्रदास पिता गोपीदास बैरागी निवासी सारण तह. बेगॅू

9– श्री राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ़

10– श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगॅू जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद डिक्री अ0धा0 88 –188राज0 काश्त0 अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री भोलेश भट्ट की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की र से श्री ....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–188 आर.टी.एक्ट में ज दिनांक 20–10–2023 को पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र गुर्जर सहायक कलक्टर एवं खण्ड अधिकारी बेगॅू के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा –188 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता ।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी क्ष्य के आधार पर सिद्ध नहीं होने से वादीगण का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 27–10–2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की हर से जारी की गई ।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:23 IST
Reason: SelfAttested